



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



06.04.2020

अधिसूचना

अफवाहों से बचें

यह सभी के ध्यान में लाया जाता है कि कुछ बेईमान तत्व मासूम छात्र और माता-पिता को भटकाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ विभिन्न सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा, मूल्यांकन, उत्तीर्ण मानदंड के बारे में परिपत्रों (के जैसे) के रूप में नकली/भ्रामक समाचार फैला रहे हैं।

बोर्ड ने हाल ही में आईटी अधिनियम के तहत सम्बद्ध करते हुये एफआईआर दाखिल करके अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, इसे स्रोतों का पता लगाने के लिए फिर से मजबूर किया जाएगा और कानून के तहत इन बदमाशों पर कार्रवाई की जाएगी।

जनसाधारण और मीडिया को भी सूचित किया जाता है कि वे ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें और बोर्ड के आधिकारिक हैंडल पर घोषणाएं देखें।

वेबसाइट: www.cbse.nic.in या इसके सोशल मीडिया निम्नानुसार हैं:

- इन्स्टाग्राम: https://instagram.com/cbse_hq_1929
- ट्विटर: <https://twitter.com/@cbseindia29>
- फेसबुक: <https://www.facebook.com/cbseindia29/>

हस्ता/-
(अनुराग त्रिपाठी)
सचिव, सीबीएसई



“शिक्षा केन्द्र”, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
“SHIKSHA KENDRA” 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

